निर्णय ब इजलास संदेश नायक आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 568/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्योजीराम पुत्र कल्याण जाति मीणा, निवासी ग्राम नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

लाडा देवी पुत्री रामचंद्र पत्नी रामनारायण जाति मीणा, निवासी ग्राम नेवर तहसील आंधी, जिला जयपुर हाल निवासी रामपुरावास रामगढ़, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

रामेश्वर पुत्र कल्याण,

रामकुंवार पुत्र कल्याण,

डूंगाराम पुत्र कल्याण,

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 55/2025 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 55/2025 ब–उनवानी लाडा देवी बनाम रामेश्वर व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री रामकरण शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री दिनेश कुमावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

दिनांक 14.05.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष वाद संख्या 55/2025 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 55/2025 ब–उनवानी लाडा देवी बनाम रामेश्वर व अन्य विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री दिनेश कुमावत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में दिनांक 15.07.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 बोल रहे थे कि आज मैं तुम्हारा जवाब बंद करवाकर आदेश लेकर तुम्हारी भूमि पर कब्जा करके रहूंगा। हमारी राजनैतिक स्तर पर अधिकारी से सांठ–गांठ हो चुकी है। उक्त दिनांक को जब प्रार्थी न्यायालय पहुंचा तो अप्रार्थी संख्या 2 ने कहा कि आज हम बंटवारा का आदेश ले लेंगे, हमारी पहुंच ऊपर तक है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा गांव वालों को कहा जा रहा है कि हमारी अधिकारी से सांठ–गांठ हो चुकी है, हम अधिकारी से मिलकर आदेश लेते ही इसकी भूमि पर कब्जा करके रहेंगे और

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

हम राजनैतिक पहुंच भी रखते है और पीठासीन अधिकारी हमारे प्रभाव में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रकरण में विलम्ब उत्पन्न करने के उद्देश्य से मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है, प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जा रहा है, अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के ऊपर किसी प्रकार के राजनैतिक दबाव के साक्ष्य सबूत पेश किए है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner